निविदा सूचना

प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नियोजन अनुभाग–3, लखनऊ के पत्र संख्या 08.06.2016 के क्रम में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के क्षेत्र कार्य के उपरान्त प्राप्त होने वाले संशोधनों एवं नये सदस्यों की सूचनाओं को डाटाबेस में समाहित करने हेतु डाटा सेन्टरों की स्थापना की जानी है तथा कार्य 120 दिवस में पूर्ण किया जाना है, जिसके लिये सेवा प्रदाता आमंत्रित किये जाते हैं।

उक्त कार्य हेतु भुगतान एवं शर्ते निम्नवत है–

1. बेंडर द्वारा पर्याप्त मात्रा में कम्प्यूटर लगाकर डाटा सेन्टर स्थापित करना होगा, जिसमें आपरेटर के प्रशिक्षण की व्यवस्था, पावर बैकअप, डाटा डाउनलोड हेतु इंटरनेट की सुविधा, इसके अतिरिक्त पेयजल प्रसाधन इत्यादि जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी। उक्त व्यय में डाटा केन्द्र की स्थापना, प्रशिक्षण, आपरेटरों का चयन, सुपरवाइजर पर्यवेक्षकों का मानदेय इत्यादि समस्त व्यय सम्मिलित हैं।
2. आपरेटरों की संख्या के आंकलन हेतु प्रति आपरेटर 200 रिकार्ड प्रतिदिन के औसत की दर से जिले की जनसंख्या के सापेक्ष निर्धारित होगा। आपरेटर न्यूनतम 10+2 पास कम्प्यूटर पर हिन्दी में डाटा एंट्री करने में सक्षम होना चाहिये।
3. प्रत्येक उपस्थित निवासी का डाटा – अधिकतम 04 रू0 प्रति रिकार्ड। अनुपस्थित सदस्यों यथा बहिर्प्रवासित एवं मृत सदस्यों का डाटा – अधिकतम 01 रू0 प्रति रिकार्ड।
4. सेवा प्रदाता फर्म को धरोहर राशि के रूप में 20,000 (बीस हजार) की एफ0डी0आर0 जिलाधिकारी कासगंज के पक्ष में देय होगी।
5. शेष शर्ते निविदा फार्म पर अंकित हैं।

ईच्छुक सेवा–प्रदाता किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 29.06.2016 को 12.00 बजे तक भूलेख अनुभाग कलेक्ट्रेट कासगंज से निविदा फार्म 100/–रू0 की शुल्क अदायगी पर प्राप्त कर सकते है। निविदा कलेक्ट्रेट कार्यालय में रखे बाक्स में दिनाकं 29.06.2016 की सांय 05.00 बजे तक डाली जा सकती है। उक्त निविदा दिनांक 30.06.2016 को आपरान्ह 02.00 बजे खोली जायेगी।

(के0 विजयेन्द्र पाण्डियन)
जिलाधिकारी,
कासगंज।

कार्यालय जिलाधिकारी कासगंज।

संख्या : 2375/सात–भूलेख–2016 दिनांक : 24 जून, 2016

प्रतिलिपि : –

1. मुख्य विकास अधिकारी, कासगंज को अपने एवं अपने अधीनस्थ समस्त विकास खण्डों के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
2. समस्त उपजिलाधिकारी, जनपद कासगंज को सूचना पट्ट पर चस्पा कराये जाने हेतु।
3. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी कासगंज को जनपद की अधिकारिक वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. जिला सूचना अधिकारी, कासगंज को इस निर्देश के साथ कि विज्ञप्ति को दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला व दैनिक जागरण में न्यूनतम स्पेस में सरकारी दरों पर प्रकाशित कराया जाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
कासगंज।